Email

बिहार सरकार
खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग

पत्रांक – प्र04 / र0वि0अधि0–01 / 2012– 2125 खाद्य, पटना / दिनांक– 5/4/2012

प्रेषक,

सत्य प्रकाश,
विशेष कार्य पदाधिकारी ।

सेवा में,

सचिव, सहकारिता विभाग, बिहार, पटना
प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य खाद्य निगम, पटना
महाप्रबंधक, भारतीय खाद्य निगम, पटना

विषय :– रब्बी विपणन मौसम 2012–13 के अन्तर्गत गेहूँ अधिप्राप्ति के लिए गेहूँ के एक समान विनिर्दिष्टियों की संसूचना के सम्बन्ध में ।

महाशय,

निदेशानुसार, उपर्युक्त विषयक संयुक्त सचिव, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग, भारत सरकार, नई दिल्ली के अ0स0पत्रांक 43–2 / 2011–क्यू.सी. सी. / 207 दिनांक 27.03.12 की प्रतिलिपि अनुलग्नक के साथ संलग्न कर भेजी जा रही है । इस पत्र द्वारा गेहूँ के एक समान विनिर्दिष्टियों का संसूचन किया गया है जिसके आधार पर आगामी रब्बी मौसम में गेहूँ की अधिप्राप्ति की जानी है ।

अनुरोध है कि इन एक समान विनिर्दिष्टियों का व्यापक प्रचार–प्रसार किसानों के बीच कराया जाय ताकि वे अपना गेहूँ तदनुसार सूखा एवं साफ रखकर न्यूनतम समर्थन मूल्य का लाभ प्राप्त कर सके ।

विश्वासभाजन,

5/4

विशेष कार्य पदाधिकारी ।

ज्ञापांक – प्र04 / र0वि0अधि0–01 / 2012–2125 खाद्य, पटना / दिनांक– 5/4/2012

प्रतिलिपि – सभी जिला पदाधिकारी को अनुलग्नक की प्रति के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

5/4

विशेष कार्य पदाधिकारी ।

ज्ञापांक – प्र04 / र0वि0अधि0–01 / 2012– 2125 खाद्य, पटना / दिनांक– 5/4/2012

प्रतिलिपि – डा0 डी0 भल्ला, संयुक्त सचिव (Impex, SRA,EOP & IC), खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग, भारत सरकार, कृषि भवन, नई दिल्ली को उनके अ0स0पत्रांक 43–2 / 2011–क्यू.सी.सी. / 207 दिनांक 27.03.12 के संदर्भ में सूचनार्थ प्रेषित ।

5/4

विशेष कार्य पदाधिकारी ।

D:\2012\Sec_4\RMS.doc

Dr. D. Bhalla, IAS
Joint Secretary (Impex, SRA, EOP & IC)
Tele: 011-23382956 (Off.)
011-23097028 (Fax)
e-mail: jsimpex.fpd@nic.in

सत्यमेव जयते

संयुक्त सचिव
भारत सरकार
उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय
खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग
कृषि भवन, नई दिल्ली - 110001
JOINT SECRETARY
GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF CONSUMER AFFAIRS,
FOOD & PUBLIC DISTRIBUTION
DEPARTMENT OF FOOD AND PUBLIC DISTRIBUTION
KRISHI BHAWAN, NEW DELHI-110001

D.O. No.43-2/2011-QCC/207

March 27, 2012

Dear Shri Sinha ji,

As you are aware that current Rabi Marketing Season (RMS) 2012-13 has started. Arrangements for procurement of wheat have been made by FCI and State Procuring Agencies. The uniform specifications for wheat and barley for RMS 2012-13 have already been issued by this Department. A copy of the same is enclosed.

2. I request you to issue necessary instructions to all the officers engaged in the procurement operations to ensure that only those foodgrains which strictly conform to uniform specifications for the RMS 2012-13 are procured. Farmers should be advised to offer only dry and clean stocks. Senior Officers may be deputed for surprise inspection of the procurement centres to ensure the procurement of foodgrains of the prescribed quality.

3. Adequate facilities for cleaning of foodgrains, preferably power cleaners, may be provided to all the procuring centres. This will enhance the quality of foodgrains being procured by FCI and the State procuring agencies.

4. It may be ensured that all the grain bags are properly stenciled and stitched. A copy of the quality control measures to be taken by the procuring agencies is enclosed.

5. Action taken in this regard may please be intimated to this Department.

With regards,

Yours sincerely,

D Bhalla
(Dr. D. Bhalla)

Encl. As above

Shri Shishir Sinha,
Principal Secretary,
Department of Food & Civil Supplies,
Government of Bihar,
PATNA (Bihar).

OSD (Sri Satya Prakash)

137

No. 7-1/2012 – S&I
Government of India
Ministry of Consumer Affairs, Food & Public Distribution
Department of Food and Public Distribution
*****

Krishi Bhawan, New Delhi,
Dated 13th March, 2012

To

The Secretary,
Food & Civil Supplies Department,
Government of ....
....

Subject: **Uniform Specifications for Wheat and Barley for the Rabi Marketing Season 2012 -2013.**

Sir,

The Uniform Specifications decided by the Government for procurement of wheat and barley stocks for the Central Pool during Rabi Marketing Season 2012 – 2013 are forwarded herewith.

It is requested that the procurement of wheat & barley stocks by all procuring agencies be ensured strictly in accordance with these specifications. It is also requested that wide publicity of the Uniform Specifications be made among the farmers in order to ensure that the farmers get the due price for their produce and rejection of stocks is avoided. The farmers may also be advised to offer only dry and clean stocks. Procurement of stocks with moisture content above 12 % and infestation should be discouraged.

Receipt of this communication may please be acknowledged.

Yours faithfully,

Encl: As above.

(B. C. Joshi)
Deputy Commissioner (S&R)
Tel. No. 23070474

Copy to:

1. The Chairman and Managing Director, FCI, New Delhi.
2. The Executive Director (Commercial), FCI, New Delhi.
3. General Manager (QC), FCI, New Delhi.
4. General Manager (Marketing & Procurement), FCI, New Delhi
5. All Zonal Executive Directors, FCI.
6. The Managing Director, Central Warehousing Corporation, New Delhi.
7. The Secretary to the Govt. of India, Department of Agriculture & Cooperation, Krishi Bhawan, New Delhi.
8. Senior PPS to Secretary (F & PD)/PPS to AS & FA/ JS (Impex , EOP & SRA) / JS (P & FCI) / JS (Stg.) / JS (BP & PD).
9. Director (P) / Director (FCI)/ Director (PD) / Director (Finance) / JC (S&R).
10. All IGMRI / QCC Offices.
11. US (Py. I, II, III, IV).
12. DC (S&R) / DD (S) / DD (QC) / AD (Lab.) / AD (QCC).
13. Director (Technical), NIC With the request to put the information on Ministry's website.

13.3.2012

(Dr. S. C. Bansal)
Deputy Director (S&R)
Tele: 23383915.

UNIFORM SPECIFICATION FOR INDIAN WHEAT OF ALL VARIETIES FOR RABI MARKETING SEASON 2012 –2013.

Wheat shall:

a) be the dried mature grains of Triticum vulgare, T. compactum, T. sphaerococcum, T. durum, T. aestivum and T. dicoccum.

b) have natural size, shape, colour and lustre.

c) be sweet, clean, wholesome and free from obnoxious smell, discolouration, admixture of deleterious substances including toxic weed seeds and all other impurities except to the extent indicated in the schedule below.

d) be in sound merchantable condition.

e) not have any admixture of Argemone mexicana and Lathyrus sativus (khesari) in any form, colouring matter and any obnoxious, deleterious and toxic material.

f) Conform to Food Safety and Standards Act / Rules (PFA Rules).

Schedule showing the maximum permissible limits of different refractions in Fair Average Quality of Wheat.

Foreign Matter %	Other food grains %	Damaged grains %	Slightly damaged grains %	Shrivelled & Broken grains %
0.75	2.00	2.00	6.00	7.00

13.3.2012

NOTE:

1. Moisture in excess of 12% and upto 14% will be discounted at full value. Stocks containing moisture in excess of 14% are to be rejected.

2. Within the overall limit specified for foreign matter, the poisonous weed seeds shall not exceed 0.4% of which Dhatura and Akra (Vicia species) shall not be more than 0.025% and 0.2% by weight respectively.

134

3. Kernels with glumes will not be treated as unsound grains during physical analysis. The glumes will be removed and treated as organic foreign matter.

4. Within the overall limit specified for damaged grains, ergot affected grains shall not exceed 0.05 %.

5. In case of stocks having live infestation, a cut at the rate of Rupee One per quintal may be charged as fumigation charges.

6. For weevilled grains determined by count, following price cuts, in addition to other cuts, if any, will be imposed.

i) from the beginning of the season till end of August, the rate of cut will be @ Re. 1/- per qtl., for every 1% or part thereof.

ii) from 1st September till end of October, no cut will be imposed upto 1% while for any excess, the cut will be @ Re. 1/- per qtl., for every 1% or part thereof.

13.3.2012

iii) from 1st November till end of the season no cut will be imposed upto 2% while for any excess, the cut will be @ Re. 1/- per qtl., for every 1% or part thereof.

iv) stocks containing weevilled grains in excess of 3% will be rejected.

Method of Analysis

As given in Bureau of Indian Standard No. IS. 4333 (Part I and II) 1967 and as amended from time to time except for weevilled grains which are to be determined by count method.

DEFINITIONS OF REFRACTIONS:

As contained in BIS Specifications No. 2813-1995.

============

4. In case of stocks having living infestation, a cut at the rate of Re. 1/- per quintal may be charged as fumigation charges.

Method of Analysis:

As given in Bureau of Indian Standard No. IS. 4333 (Part I and II) 1967 and as amended from time to time except for weevilled grains which are to be determined by count method.

13.3.2012

DEFINITIONS OF REFRACTIONS:

As contained in BIS Specifications No. 2813-1995.

132

Quality Control measures to be taken by FCI and State procuring agencies for procurement of wheat and barley.

****

1. Foodgrains should be procured strictly conforming to the uniform specifications prescribed by the Government of India.

2. Adequate number of mandies/procurement centers should be set up and operated efficiently, effectively and economically.

3. Wide publicity regarding procurement of wheat under MSP and quality specifications should be given to create awareness amongst the farmers to bring only clean, dry wheat well within the uniform specification limits in the mandies for sale.

4. Proper cleaning of wheat/barley stocks should be ensured before purchase. For this, necessary cleaning facilities should be provided in the purchase centers. Pucca mandi yards minimize the chances of inadvertent admixture of dust/clay/mud in the wheat/barley being procured.

5. Quality inspectors/purchase staff at each and every purchase center must be fully equipped with analysis kits and moisture meters (duly calibrated).

6. They should be aware of the procedure for physical analysis of foodgrains including determination of moisture content and Govt. of India's Uniform specifications for the RMS 2012-13.

7. Quality inspectors/purchase staff must have adequate number of cloth bags and polythene bags for drawing samples. These samples should be regularly sent to the District Office Laboratory for analysis with proper labeling viz. name of mandi, date of sampling, commodity, signature of inspectors etc.

8. Adequate laboratory facilities for analysis of foodgrains at district level should be provided by the State procuring agencies.

9. Supervising officers should be continuously on the move for close supervision of the procurement operations including the quality of procured stocks.

10. Prior to purchase, the quality inspectors/purchase staff should inspect the stocks heap-wise to assess the quality and advise farmers to do necessary cleaning/upgradation, if required.

11. The quality inspectors /purchase staff must ensure proper stenciling of bags before placing/filling of stock procured. The stenciling inter alia must contain (i) Name of Procuring Agency, (ii) Mandi (iii) Commodity (iv) Crop year and (v) Not weight.

12. Proper record of each days purchase should be maintained. The details of rejected lots, if any with reasons should also be maintained in separate register.

संख्या 7-1/2012-एस एंड आई

भारत सरकार

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय

खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग

कृषि भवन, नई दिल्ली

दिनांक 13 मार्च, 2012

सेवा में

सचिव,

खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग

................सरकार (सभी राज्य सरकारें/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन)

विषय: रबी विपणन मौसम 2012-13 के लिए गेहूँ और जौ की एक-समान विनिर्दिष्टियां।

महोदय,

रबी विपणन मौसम 2012-13 के दौरान केन्द्रीय पूल के लिए खरीद हेतु गेहूँ और जौ की सरकार द्वारा निर्णित एकसमान विनिर्दिष्टियाँ इस पत्र के साथ भेजी जा रही हैं।

अनुरोध है कि सभी खरीद एजेन्सियों द्वारा गेहूँ और जौ की खरीदारी कड़ाई से इन विनिर्दिष्टियों के अनुसार की जाए। यह भी अनुरोध है कि इन एकसमान विनिर्दिष्टियों का किसानों के बीच व्यापक रूप से प्रचार-प्रसार किया जाए ताकि वे अपने उत्पादों के उचित मूल्य प्राप्त कर सकें और स्टाक की अस्वीकृति से बचा जा सके। किसानों को यह परामर्श भी दिया जाए कि वे केवल शुष्क और साफ अनाज ही लायें। 12% से अधिक नमी और जन्तु बाधा ग्रस्त स्टाक की खरीदारी को हतोत्साहित किया जाए।

इस पत्र की पावती भेजने की कृपा करें।

भवदीय,

संलग्नक: यथोपरि

13/3/2012

(बी. सी. जोशी)

उपायुक्त (एस एंड आर)

दूरभाष 23070474

प्रति प्रेषित:

1. अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, भारतीय खाद्य निगम, नई दिल्ली।
2. कार्यकारी निदेशक (वाणिज्य), भारतीय खाद्य निगम, नई दिल्ली।
3. महा प्रबंधक (गुण नियंत्रण), भारतीय खाद्य निगम, नई दिल्ली।
4. महा प्रबंधक (विपणन एवं खरीद) , भारतीय खाद्य निगम, नई दिल्ली।
5. सभी कार्यकारी निदेशक (अंचल), भारतीय खाद्य निगम।
6. प्रबंध निदेशक, केन्द्रीय भंडारण निगम, नई दिल्ली।
7. सचिव, भारत सरकार, कृषि एवं सहकारिता विभाग, कृषि भवन, नई दिल्ली।
8. सचिव (खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग) के वरिष्ठ निजी सचिव/अपर सचिव एवं वित्तीय सलाहकार/संयुक्त सचिव (नीति एवं भारतीय खाद्य निगम)/संयुक्त सचिव (इम्पैक्स, एस आर ए और ईओपी)/संयुक्त सचिव (बी.पी. एंड पी.डी.)/संयुक्त सचिव (संग्रह) के प्रधान निजी सचिव।
9. निदेशक (नीति)/निदेशक (भा.खा.नि.)/ निदेशक (पी.डी.)/निदेशक (वित्त)/संयुक्त आयुक्त (भं. एवं अनु.)/उपायुक्त (भं. एवं अनु.)।
10. सभी भारतीय अनाज संचयन प्रबंधन एवं अनुसंधान संस्थान/गुण नियंत्रण प्रकोष्ठ कार्यालय
11. अवर सचिव (नीति-1,2,3,4)।
12. उप निदेशक (एस एण्ड आर)/उप निदेशक (एस)/उप निदेशक (क्यूसी)/सहायक निदेशक (लैब)/ सहायक निदेशक (क्यूसीसी)।
13. निदेशक (तकनीकी), एनआईसी को इस अनुरोध के साथ कि वे इस सूचना को मंत्रालय की बेवसाइट पर प्रदर्शित करें।

13/3/2012

(डा. एस. सी. बंसल)
उप निदेशक (एस एण्ड आर)
दूरभाष : 23383915

3. भौतिक विश्लेषण के दौरान छिलके सहित दानों को खराब खाद्यान्न नहीं गिना जाएगा और छिलकों को निकाल दिया जाएगा और उन्हें जैविक विजातीय तत्व माना जाएगा।

4. क्षतिग्रस्त खाद्यान्नों हेतु निर्धारित समग्र सीमा के भीतर एरगोट प्रभावित दाने 0.05% से अधिक नहीं होंगे।

5. स्टाक में जीवित जन्तुबाधा होने के मामले में 1 रुपये प्रति क्विंटल की कटौती को प्रधूमन प्रभार के रूप में वसूल किया जाएगा।

6. गणना द्वारा निश्चित किए गए घुने हुए दानों के लिए निम्नलिखित रूप से कीमत में कटौती की जाएगी, जो अन्य कटौतियों, यदि कोई हो, के अतिरिक्त होगी।

   (i) मौसम के प्रारम्भ से अगस्त के अंत तक कटौती प्रत्येक 1% या उसके अंश हेतु 1 रुपये प्रति क्विंटल की दर से होगी।

   (ii) 1 सितम्बर से अक्तूबर के अन्त तक 1% तक कोई कटौती नहीं की जाएगी जबकि उसके ऊपर प्रत्येक 1% अथवा उसके अंश हेतु 1 रुपये प्रति क्विंटल की दर से कटौती होगी।

   (iii) 1 नवम्बर से मौसम के अन्त तक 2% तक कोई कटौती नहीं की जाएगी जबकि उसके ऊपर प्रत्येक 1% अथवा उसके अंश हेतु 1 रुपये प्रति क्विंटल की दर से कटौती होगी।

   (iv) जिस स्टाक में 3% से अधिक घुन लगे दाने होंगे उसे अस्वीकृत कर दिया जाएगा।

विश्लेषण की पद्धति

घुन लगे दानों को छोड़कर जिन्हें गणना पद्धति द्वारा निश्चित किया जाना है, समय-समय पर यथा संशोधित भारतीय मानक ब्यूरो संख्या आई०एस० 4333 (भाग 1 और 2) 1967 के अनुसार ।

अपवर्तकों की परिभाषा

भारतीय मानक ब्यूरो की विनिर्दिष्टि संख्या 2813-1995 में निहित निर्देशों के अनुसार।

रबी विपणन मौसम 2012-13 के लिए भारतीय गेहूं की सभी किस्मों की खरीद के लिए एक-समान विनिर्दिष्टियां

गेहूं निम्नानुसार होगा:-

(क) जिसमें ट्राइटिकम वल्गर, टी. कॉम्पैक्टम, टी. स्फैरिओकोकोम, टी. डयूरम, टी. ऐस्टीवियुम और टी. डाइकोकोम के परिपक्व सूखे हुए दाने हों।

(ख) इनका आकार, बनावट, रंग और चमक प्राकृतिक हो।

(ग) मीठा, साफ, पुष्ट हो और बदबू, रंगहीनता, विषाक्त घास के बीजों सहित हानिकर तत्वों के मिश्रण और नीचे दी गई अनुसूची में दर्शायी गई मात्रा को छोड़ अन्य सभी प्रकार की अशुद्धताओं से मुक्त हो।

(घ) अच्छी विपणीय अवस्था में हो।

(ङ) इसमें किसी भी रूप में अर्जिमोन मैक्सिकाना और लेथायरस सैटाइवस (खेसरी), रंगने वाले पदार्थ तथा खराब, हानिकर और विषाक्त पदार्थ का मिश्रण न हो।

(च) खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम/नियमों (खाद्य अपमिश्रम निवारण नियम) के अनुरूप हो।

13/3/12

गेहूं की उचित औसत गुणवत्ता में विभिन्न अपवर्तकों की अधिकतम अनुमेय सीमाओं को दर्शाने वाली अनुसूची

विजातीय तत्व	अन्य खाद्यान्न %	क्षतिग्रस्त दाने %	थोड़े क्षतिग्रस्त दाने %	सिकुड़े और टोटे दाने %
0.75	2.00	2.00	6.00	7.00

टिप्पणीः

1. 12% से अधिक और 14% तक नमी को पूर्ण कीमत पर छूट प्रदान की जाएगी। 14% से अधिक नमी वाले खाद्यान्न को अस्वीकृत कर दिया जाएगा।
2. विजातीय तत्व हेतु निर्धारित समग्र सीमा के भीतर जहरीले घास के बीज 0.4% से अधिक नहीं होंगे जिनमें धतूरा और अकरा (विसिया प्रजाति) वजन के अनुसार क्रमशः 0.025% और 0.2% से अधिक नहीं होंगे।

रबी विपणन मौसम 2012-13 के लिए जौ की एक-समान विनिर्दिष्टियां

1/2012

जौ निम्नानुसार होगा:-

(क) होर्डियम बल्गर के परिपक्व और सूखे हुए दाने हों।

(ख) इनका आकार, बनावट और रंग एक समान हो।

(ग) मीठा, साफ, पुष्ट हो और बदबू, रंगहीनता, हानिकर तत्वों के मिश्रण और नीचे दी गई अनुसूची में दर्शायी गई मात्रा को छोड़ अन्य सभी प्रकार की अशुद्धताओं से मुक्त हो।

(घ) अच्छी विपणीय अवस्था में हो।

(ङ) इसमें किसी भी रूप में अर्जिमोन मैक्सिकाना और लेथायरस सैटाइवस (खेसरी), रंगने वाले पदार्थ, कीटनाशी तथा कोई खराब और विषाक्त पदार्थ का मिश्रण न हो।

(च) खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम/नियमों (खाद्य अपमिश्रम निवारण नियम) के अनुरूप हो।

13/3/12

जौ की उचित औसत गुणवत्ता में विभिन्न अपवर्तकों की अधिकतम अनुमेय सीमाओं को दर्शाने वाली अनुसूची

विजातीय तत्व	अन्य खाद्यान्न %	क्षतिग्रस्त दाने %	थोड़े क्षतिग्रस्त दाने और लगे हुए दाने%	अपरिपक्व और सिकुड़े दाने %
0.75	5.00	3.00	8.00	8.00

टिप्पणी:

1. विजातीय तत्व हेतु निर्धारित समग्र सीमा के भीतर जहरीले घास के बीज 0.5% से अधिक नहीं होंगे जिनमें धतूरा और अकरा (विसिया प्रजाति) वजन के अनुसार क्रमश: 0.025% और 0.2% से अधिक नहीं होंगे।
2. 12% से अधिक और 14% तक नमी को पूर्ण कीमत पर छूट प्रदान की जाएगी। 14% से अधिक नमी वाले खाद्यान्न को अस्वीकृत कर दिया जाएगा।

(क)

3. गणना द्वारा निश्चित किए गए घुने हुए दानों के लिए निम्नलिखित रूप से कीमत में कटौती की जाएगी, जो अन्य कटौतियों, यदि कोई हो, के अतिरिक्त होगी।

(i) मौसम के प्रारम्भ से अगस्त के अंत तक कटौती प्रत्येक 1% या उसके अंश हेतु 1 रुपये प्रति क्विंटल की दर से होगी।

(ii) 1 सितम्बर से अक्तूबर के अन्त तक 1% तक कोई कटौती नहीं की जाएगी जबकि उसके ऊपर प्रत्येक 1% अथवा उसके अंश हेतु 1 रुपये प्रति क्विंटल की दर से कटौती होगी।

(iii) 1 नवम्बर से मौसम के अन्त तक 2% तक कोई कटौती नहीं की जाएगी जबकि उसके ऊपर प्रत्येक 1% अथवा उसके अंश हेतु 1 रुपये प्रति क्विंटल की दर से कटौती होगी।

(iv) जिस स्टाक में 3% से अधिक घुन लगे दाने होंगे उसे अस्वीकृत कर दिया जाएगा।

4. स्टॉक में जीवित जन्तुबाधा होने के मामले में 1 रुपये प्रति क्विंटल की कटौती को प्रधूमन प्रभार के रूप में वसूल किया जाएगा।

13/3/12

विश्लेषण की पद्धति

घुन लगे दानों को छोड़कर जिन्हें गणना पद्धति द्वारा निश्चित किया जाना है, समय-समय पर यथा संशोधित भारतीय मानक ब्यूरो संख्या आई०एस० 4333 (भाग 1 और 2) 1967 के अनुसार ।

अपवर्तकों की परिभाषा

भारतीय मानक ब्यूरो की विनिर्दिष्टि संख्या 2813-1995 में निहित निर्देशों के अनुसार।